राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 522/2025

अविनाश कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये आयुक्त सह सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, स्थानीय स्वशासन विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय स्वशासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, नगर परिषद बस्सी, जयपुर।
5. रोहित मीणा, कनिष्ठ अभियंता (सिविल), संभागीय आयुक्त, मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक : 31.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री नमो नारायण शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार कि अपीलार्थी कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत है तथा वर्तमान में नगर पालिका, बस्सी में पदस्थापित है। अपीलार्थी दिनांक 15.01.2025 के स्थानांतरण आदेश को चुनौती दे रहा है जिसके तहत अपीलार्थी को नगर पालिका बस्सी से नगर पालिका जालोर में स्थानांतरित किया गया था, जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 रोहित मीना को अपीलार्थी के स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। अपीलार्थी का नाम दो स्थानों पर यानी क्रम संख्या 48 और 87 पर दर्शाया गया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विवादित आदेश बिना सोचे–समझे पारित किया गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम क्रम संख्या 47 पर दर्शाया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को प्रारंभ में आदेश 3.10.2013 के तहत कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त किया गया था और नगर नगर उदयपुर में तैनात किया गया था, जहां से अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.10.2013 के तहत आरयूआईएफडीसीओ, जयपुर में स्थानांतरित और पदस्थापित किया गया था। इसके बाद आदेश दिनांक 6.11.2013 के

तहत अपीलार्थी को नगर पालिका डीडवाना (सीवरेज सेल) में पदस्थापित किया गया था। इसके बाद आदेश दिनांक 25.1.2019 के तहत अपीलार्थी को रिक्त पद पर नगर परिषद मकराना में स्थानांतरित किया गया और उसके बाद उसे नगर पालिका अंता में स्थानांतरित किया गया, जहां उसने कार्यभार ग्रहण किया। आदेश दिनांक 9.7.2019 के तहत अपीलार्थी को एपीओ कर नगर पालिका डीडवाना (सीवरेज सेल) में पदस्थापित किया गया। उसके बाद दिनांक 01.08.2019 के आदेश द्वारा नगर पालिका झालरापाटन में पदस्थापित किया गया। उसके बाद दिनांक 28.12.2020 के आदेश द्वारा फिर से अपीलार्थी को एपीओ कर दिया गया। उसके बाद दिनांक 5.1.2021 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को नगर पालिका पिड़ावा में पदस्थापित किया गया, जहां उसने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। उसके बाद दिनांक 28.7.2021 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को नगर पालिका बगरू में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। उसके बाद दिनांक 11.1.2022 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को नगर पालिका बस्सी में पदस्थापित किया गया। उस आदेश दिनांक 6.10.2022 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को फिर से आवासन आरयूआईएफडीसीओ में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां भी उसने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। दिनांक 22.2.2024 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को पुनः नगर पालिका बस्सी में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से अपीलार्थी को पुनः दूरस्थ स्थान नगर पालिका जालौर में स्थानांतरित कर दिया गया, हालांकि जालौर पालिका नहीं है और यह परिषद है और इसलिए, पुनः यह आदेश विवेक का प्रयोग न करने का द्योतक है। आलौच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम दो बार अंकित है। अपीलार्थी को नियुक्त होने के बाद सभी वर्षों में बार–बार स्थानांतरित किया गया है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती ज्योति कोठीवाल, जब वह मुख्य अभियंता (केएटीपीपी), झालावाड़ के कार्यालय में जेईएन के पद पर तैनात थीं, तो उन्होंने पति के जयपुर में पदस्थ होने के आधार पर उनके स्थानांतरण की मांग की थी और उनके अनुरोध को स्वीकार कर प्राधिकारी ने उसे 22.2.2024 के आदेश के अनुसार स्थानांतरित कर दिया। अपीलार्थी की पत्नी को एईएन के पद पर पदोन्नत किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी का नाम 22.2.2024 के आदेश क्रमांक 27 में दर्शाया गया है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी का 6 साल का लड़का है, जो माउंट कार्मल बगराना में कक्षा–1 में पढ़ता है और यह आदेश शैक्षणिक सत्र के मध्य में पारित किया गया है। अपीलकर्ता की माँ की मृत्यु हो चुकी है और पिता 62 वर्ष के हैं जो बुढ़ापे की बीमारियों से पीड़ित हैं। अपीलकर्ता परिवार का एकमात्र व्यक्ति है, जो पूरे परिवार की देखभाल करता है। अपीलार्थी को लगभग 470 किलोमीटर दूर कर दिया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी को स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को नगर पालिका, बस्सी में ही अपने कर्तव्यों का पालन करने दिया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य